भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4561
उत्तर देने की तारीख : 23.03.2021

दिव्यांगजनों का पुनर्वास

4561. श्री चिराग कुमार पासवान :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दिव्यांग बच्चों/युवाओं के पुनर्वास के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार है जो पैदाइशी शारीरिक रूप से अक्षम नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल खेलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से बिहार के जमुई जिले के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि '9' के आधार पर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है। हालांकि, केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) दिव्यांग बच्चों/ऐसे युवाओं, जो जन्म से शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं हैं, सहित दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अपने राष्ट्रीय संस्थानों, स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनैंस एंड डिवलेप्मेंट कॉर्पोरेशन और भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के साथ-साथ राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/संगठनों/संस्थानों और गैर—सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं लागू करता है। इस संदर्भ में, जन्म से दिव्यांग व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के बीच,जिन्होंने दिव्यांगता उपार्जित की है, कोई भेदभाव नहीं है।

*****